BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
OA NO. 201 OF 2024

IN THE MATTER OF:
AMIT KUMAR

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.... RESPONDENTS.

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Supplementary Affidavit of District Magistrate Shamli in compliance of order dated 30.07.2026 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure No. 1 (Collectively: -** A copy of the report dated 24.09.2026	
3.	**Annexure No. 2 (Collectively): -** A copy of the report dated 21.09.2026 submitted by the Executive Engineer, Drainage Division, Shamli (Muzaffarnagar), along with the relevant supporting documents	
4.	**Annexure No. 3: -** A copy of the report dated 30.09.2026 submitted by the Divisional Forest Officer, Shamli Forest	

	Division, Shamli, containing the particulars of the plantation undertaken along the Khokhri River	
5.	**Annexure No. 4 (Collectively): -** A copy of the report dated 22.09.2026 submitted by the District Panchayat Raj Officer, District Shamli, along with the relevant supporting documents	
6.	**Annexure No. 5 (Collectively): -** A copy of the report dated 23.09.2026 submitted by the Block Development Officer, District Shamli, along with the photographs.	

DATED: - 03.10.2026

FILED THROUGH

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB :- 09990804440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO. 201 OF 2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT.

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

....RESPONDENTS.

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE – SHAMLI IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 30.07.2026 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 6 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Alok Yadav, aged about 36 years, S/o Shri V.S. Yadav, presently posted as District Magistrate - Shamli, do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

1. That I am the above-mentioned officer of answering Respondent No. 6 and is duly competent to file the present Supplementary Affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this Supplementary Affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present Supplementary Affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted

hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present Supplementary affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed there from.

4. That the Deponent is posted as District Magistrate- Shamli since 24.04.2026.

5. That the present Supplementary Affidavit is being filed in compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal vide order dated 30.07.2026 as follow: -

"4. Meanwhile the respondent No. 6 will ensure appropriate remedial measures in respect of solid and liquid waste and submit the report before the next date of hearing.

5.List on 05.10.2026."

6. That the Sub-Divisional Magistrate, District-Shamli, submitted a report vide letter dated 24.09.2026 with regard to the action undertaken for removal of encroachments from and excavation and cleaning of the Khokhri River. As per the said report, the excavation and cleaning of the Khokhri River were undertaken with the consent of the concerned cultivators in respect of the following plots situated in Village Alipura, namely: Khasra No. 23-mi admeasuring 0.126 hectares; Khasra No. 23-mi admeasuring 0.020 hectares; Khasra No. 23-mi admeasuring

0.128 hectares; Khasra No. 23-mi admeasuring 1.044 hectares; and Khasra No. 23-mi admeasuring 0.287 hectares. A copy of the report dated 24.09.2026 along with the photographs are collectively being annexed as **Annexure No. 1** to this affidavit.

7. That, upon identification of the encroachments existing over the Khokhri River, encroachments attributable to 27 persons in Village Sakauti and 06 persons in Village Chausana were found to be existing. Consequential proceedings were initiated against the said encroachments under Section 152 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (hereinafter referred to as the "**BNSS, 2023**" for the sake of brevity). Pursuant thereto, the encroachments were removed from a stretch measuring approximately 600 metres in Village Sakauti, out of the total riverine length of approximately 2 kilometres falling within the said village.

8. That, similarly, in Village Chausana, the identified encroachments were removed from a stretch measuring approximately 200 metres along the Khokhri River, which has an approximate total length of 5.5 kilometres within the said village.

9. That the aforesaid exercise resulted in the removal of both temporary as well as permanent illegal encroachments from the riverine area falling within Villages Sakauti and Chausana. Simultaneously, requisite excavation and cleaning operations were undertaken over the riverbed of the Khokhri River. It has accordingly been reported that, as on date, the administrative

authorities have completed the cleaning work undertaken in respect of the Khokhri River.

10. That the Executive Engineer, Drainage Division, Shamli (Muzaffarnagar), has submitted a report vide letter dated 21.09.2026 concerning the demarcation of the flood plain zone of the Khokhri River.

11. That, as disclosed in the said report, the flood plain zone of the Khokhri River has been determined in accordance with the directions contained in Letter No. 6/NGT/26-27-Sin-4/2026-CN-1804386 dated 02.02.2026, issued by the Irrigation and Water Resources Section-4, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

12. That pursuant to the aforesaid determination and demarcation of the flood plain zone of the Khokhri River within District Shamli, the requisite exercise for installation of pillars demarcating and physically identifying the boundaries of the said flood plain zone has also been completed. A copy of the report dated 21.09.2026 submitted by the Executive Engineer, Drainage Division, Shamli (Muzaffarnagar), along with the relevant supporting documents are collectively being annexed as **Annexure No. 2** to this affidavit.

13. That the Divisional Forest Officer, Shamli Forest Division, Shamli, has furnished information regarding the plantation activities undertaken along the banks of the Khokhri River during the financial year 2026-27 vide letter dated 30.09.2026

NOTARY Mukesh Kumar Gupta NOTARY Shamli R.No.: 08/31/2001 Govt. of U.P.

14. That, according to the aforesaid report, a total of **1,911 saplings** have been planted along the banks of the Khokhri River as part of the plantation exercise undertaken during the aforesaid period. A copy of the report dated 30.09.2026 submitted by the Divisional Forest Officer, Shamli Forest Division, Shamli, containing the particulars of the plantation undertaken along the Khokhri River, is being annexed as **Annexure No. 3** to this affidavit.

15. That the District Panchayat Raj Officer, Shamli, has submitted a report dated 22.09.2026 detailing the measures undertaken for preventing the discharge of solid and liquid waste into the Khokhri River and for maintaining cleanliness in the areas connected with the said river.

16. That, as per the said report, cleaning of the drains discharging into the Khokhri River, as well as the requisite disposal of solid and liquid waste, has been undertaken in Gram Panchayat Chaisana. It has further been reported that a system of door-to-door collection of solid waste, coupled with segregation of such waste, is also being implemented. A copy of the report dated 22.09.2026 submitted by the District Panchayat Raj Officer, Shamli, along with the relevant supporting documents are collectively being annexed as **Annexure No. 4** to this affidavit.

17. That the Block Development Officer, District Shamli, has submitted a report dated 23.09.2026 regarding the excavation and cleaning work undertaken in respect of the Khokhri River.

I.

NOTARY

18. That the aforesaid report records the action undertaken for excavation and cleaning of the Khokhri River and is accompanied by photographs depicting the work carried out at the site and the prevailing condition of the river and its riverbed after the execution of the aforesaid works. A copy of the report dated 23.09.2026 submitted by the Block Development Officer, District Shamli, along with the photographs are collectively being annexed as **Annexure No. 5** to this affidavit.

NOTARY

19. That the Deponent has been duly apprised that various district-level agencies and administrative departments have been continuously and concertedly undertaking requisite measures towards the rejuvenation, restoration and ecological improvement of the Khokhri River, including the removal of encroachments, excavation and cleaning of the riverbed, demarcation and protection of the flood plain zone, plantation along the riverbanks, and prevention of discharge and accumulation of solid and liquid waste in the river and its adjoining areas, in support of which the then District Magistrate- Shamli has filed various affidavits indicating the measures undertaken

NOTARY Mukesh Kumar Garg Shamli R.No.: 08/31/2001 Govt. of U.P.

NOTARY

20. That the Deponent has acted with due diligence and in strict adherence to the orders passed by this Hon'ble Tribunal, and has undertaken all necessary measures to ensure full and timely compliance thereof, both in letter as well as in spirit.

NOTARY

21. That in the aforesaid facts and circumstances, the present Supplementary affidavit is being filed for the kind consideration

NOTARY

I

of this Hon'ble Tribunal, and it is most respectfully prayed that the same be taken on record.

DEPONENT.

VERIFICATION L.T.I./Signature of Deponent

Verified at Shamli on this 03 day of October 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 21 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT.

L.T.I./Signature of Deponent

म घोषणा करता हूँ कि, शपथ कर्ता को जानता हूँ उसने इस सपथ पत्र पर आज मेरे व नोटरी के सामने अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किया है।

ATT

Mukesh Kumar Garg
NOTARY, SHAMLI
Distt SHAMLI

Annexure-1

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऊन, जनपद शामली।

पत्रांक:243 / एस0टी0 / 2026

दिनांक: 24.09.2026

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शामली / मु0नगर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–201 / 2024 एवं आई0ए0 नं0 49 / 2026 एवं 50 / 2026 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र सं0–787 / OA–201 / अमित कुमार / शामली / 2026, दिनांक 18.09.2026 का सन्दर्भ करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–201 / 2024 एवं आई0ए0 नं0 49 / 2026 एवं 50 / 2026 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या निम्नवत् हैः–

खोखरी नदी, यमुना नदी की एक सहायक नदी है, जो जनपद सहारनपुर के तहसील नकुड़ के ग्राम बिसनपुर से होते हुए जनपद शामली की तहसील ऊन के मौजा चौसाना जदीद, चौसाना बिला अहतमाल, अलीपुरा, भड़ी, मुस्तफाबाद, सकौती, कमालपुर, गुर्जरपुर, अजीजपुर, काला माजरा, जलालपुर (आंशिक भाग), केरटू से होते हुए यमुना नदी में विलीन हो जाती है। ग्राम चौसाना जदीद, चौसाना विला अहतमाल, अलीपुरा, भड़ी, कमालपुर (आंशिक भाग), गुर्जरपुर, अजीजपुर, जलालपुर (आंशिक भाग) व केरटू के अभिलेखों में यह नदी दर्ज कागजात है तथा ग्राम मुस्तफाबाद, सकौती, कमालपुर (आंशिक भाग), कालामाजरा, जलालपुर (आंशिक भाग) के अभिलेखों में यह नाला दर्ज कागजात है।

ग्राम अलीपुरा के खसरा नं0–23मि रकबा 0.126हे0, खसरा नं0– 23मि रकबा 0.020हे0, खसरा नं0–23मि रकबा 0.128हे0, खसरा नं0–23मि रकबा 1.044हे0, खसरा नं0–23मि रकबा 0.287हे0 काश्तकारों के नाम दर्ज है, जो सी0एच0–41 व 45 (बन्दोबस्त वर्ष–1388 से 1389 फसली) के अनुसार बन्दोबस्त के समय से ही दर्ज चला आ रहा है। उक्त खसरों के काश्तकारों की सहमति के आधार पर खोखरी नदी की खुदाई एवं सफाई का कार्य किया गया।

ग्राम सकौती में नदी तल पर 27 व्यक्तियों का अतिक्रमण पाया गया तथा ग्राम चौसाना में नदी तल पर 06 व्यक्तियों का अतिक्रमण पाया गया। शांति व्यवस्था अत्याधिक खराब होने की संभावना के दृष्टिगत् उक्त अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध धारा–152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। ग्राम सकौती में अवैध अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध वाद नं0–2700 सन् 2025 में सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान कर गुण–दोष के आधार पर दिनांक 27.06.2025 को यह आदेश हुआ कि **"भा०ना०सु०सं० की धारा 152 (1) के अन्तर्गत निर्गत प्रारम्भिक आदेश दिनांक 11–04–2025 को पुष्ट किया जाता है तथा अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड शामली (मु०नगर) को निर्देशित किया जाता है कि वह तहसीलदार ऊन एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना**

झिंझाना से समन्वय स्थापित कर खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम सकौती पर प्रतिवादी–हरेन्द्र पुत्र जिले सिंह, मोहित पुत्र चन्द्रपाल सिंह, सचिन कुमार पुत्र शिवकुमार, रामकुमार पुत्र कालाराम, मांगेराम पुत्र जिले सिंह, निर्मल पुत्र सीताराम, वेदपाल पुत्र सरजीत, तेजपाल व रामशरण पुत्रगण केशोराम, सुक्रमपाल पुत्र बलजीत, रामपाल पुत्र हरी सिंह, अमित पुत्र ईसम सिंह, लाग सिंह पुत्र बलजीत, राजेन्द्र पुत्र पुन्ना सिंह, रामफल पुत्र धर्मवीर सिंह, मांगेराम पुत्र सुबा, रामशरण पुत्र सहेन्दर सिंह, भगवान सिंह पुत्र सहेन्दर सिंह, फूल कुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, शिवकुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, रामकुमार पुत्र सहेन्दर सिंह, चन्द्रपाल पुत्र महेन्द्र सिंह, रवि पुत्र राजपाल, नौशाद पुत्र बाबू, राजबीर पुत्र खिलारी, देशपाल पुत्र राजपाल, अरूण पुत्र पीतम सिंह, विकास पुत्र हरी सिंह समस्त निवासीगण ग्राम सकौती, थाना झिंझाना, तहसील ऊन, जनपद शामली द्वारा अतिक्रमण करने से पब्लिक न्यूसैंस पैदा हो गया है, उसको तत्काल हटवा दें (संलग्नक 01)।" ग्राम सकौती में खोखरी नदी की कुल लम्बाई लगभग 02 किमी0 है, जिसमें 600 मीटर में अतिक्रमण था, जिसे उक्त आदेश के उपरान्त हटवा दिया गया है।

इसी प्रकार ग्राम चौसाना में अवैध अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध वाद नं0–2701 सन् 2025 में सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान कर गुण–दोष के आधार पर दिनांक 27.06.2025 को यह आदेश हुआ कि **"भा0ना0सु0सं0 की धारा 152 (1) के अन्तर्गत निर्गत प्रारम्भिक आदेश दिनांक 11–04–2025 को पुष्ट किया जाता है तथा अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड शामली (मु0नगर) को निर्देशित किया जाता है कि वह तहसीलदार ऊन एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना झिंझाना से समन्वय स्थापित कर खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर प्रतिवादी–राजेश पुत्र टनक, संजीव पुत्र महीपाल, प्रमोद पुत्र बिन्दर, घसीटू पुत्र विशम्बर, विनोद पुत्र विशम्बर, अतरा पुत्र सोहनलाल समस्त निवासीगण ग्राम चौसाना, थाना झिंझाना, तहसील ऊन, जनपद शामली द्वारा अतिक्रमण करने से पब्लिक न्यूसैंस पैदा हो गया है, उसको तत्काल हटवा दें (संलग्नक 02)।"** ग्राम चौसाना में खोखरी नदी की कुल लम्बाई लगभग 5.5 किमी है, जिसमें 200 मीटर में अतिक्रमण था, जिसे उक्त आदेश के क्रम में हटवा दिया गया है।

तदपुरान्त ग्राम सकौती व ग्राम चौसाना में अस्थायी एवं स्थायी अवैध अतिक्रमण हटाये गए तथा नदी तल पर खोखरी नदी की खुदाई एवं सफाई का कार्य किया गया। वर्तमान में प्रशासन द्वारा खोखरी नदी की खुदाई एवं सफाई का कार्य पूर्ण करा दिया गया है, जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न कर आख्या महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

24/9/26

उप जिलाधिकारी
ऊन।

प्रतिलिपि: 1–जिलाधिकारी महोदय, शामली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शामली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
ऊन।

Annexure-2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)

पत्रांक :– 1235 /डीडीएम/खोखरी/ दिनांक :– 21/09/2026

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 एंव आई0ए0 नं0 49/2026 एंव 50/2026 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–787/ओ0ए0–201/अमित कुमार/शामली/दि0 18.09.2026

कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शामली/मुजफ्फरनगर।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 एंव आई0ए0 नं0 49/2026 एंव 50/2026 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशों दिनांक 30.07.2026 के क्रम में सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग से सम्बंधित आख्या निम्नानुसार है।

सिंचाई एव जल संसाधन विभाग द्वारा खोखरी/सिंधली नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि खोखरी/सिंधली नदी जनपद सहारनपुर एंव जनपद शामली में प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। विभागीय स्तर पर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर को फ्लड प्लेन जोन निर्धारण हेतु मुख्य अभियन्ता (यमुना) द्वारा, नोडल खण्ड नामित किया गया है। ड्रेनेज खण्ड, शामली जनपद शामली के अर्न्तगत खोखरी नदी से सम्बंधित समस्त डाटा पूर्व में ही नोडल खण्ड–सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर को प्रेषित करा दिया गया है।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के सिंचाई एंव जल संसाधन अनुभाग–4 लखनऊ के पत्र संख्या–6/एनजीटी/26–27–सिं–4/2026–सी0एन0–1804386,दिनांक–02.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा खोखरी/सिंधली नदी के फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण कर दिया गया है। यहां अवगत कराना है कि जनपद शामली में खोखरी/सिंधली नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण उपरान्त पिलर लगाने एंव फ्लड प्लेन जोन के सीमांकन हेतु सी0सी0 पिलर लगाने के कार्य की प्रस्तावित तिथि 31.12.2026 थी, जिसे वर्तमान में पूर्ण कर लिया गया है।

यह आपको सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)

पत्रांक :– /डीडीएम/तदिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी महोदय, शामली।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर।
3. उपजिलाधिकारी, ऊन–शामली।
4. सहायक अभियन्ता, प्रथम–ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)

अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)

अत्यन्तपूर्ण

संख्या ...6 एसजीसी /26 2/-सि0-4/2026 CN-1804386

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0, शासन।

3.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 02 फरवरी जनवरी, 2026

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-201/2024 श्री अमित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन में सिंधली/खोखरी नदी के फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-201/ 2024 श्री अमित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 19.01.2026 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिंधली/खोखरी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमाकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या- 201/ 2024 श्री अमित कुमार वनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में सिंधली/खोखरी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन किये जाने हेतु आदेश दिए गए है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 01-08-2025 को पारित आदेश के प्रस्तर-4 में निम्न निर्देश दिये गये है:-

"4. In the above circumstances, we direct the District Magistrate Saharanpur and also District Magistrate Shamli to file a fresh affidavit within six weeks clearly indicating all the minor and major drains which are out falling in the river Khakhori/Sindhli in their respective Districts, the timebound plan to prevent the flowing of sewage and domestic waste in the river, the timebound action for the demarcation of flood plains of the river in their District, the action which has been taken for removal of the encroachment and timebound proposed action for removing the remaining encroachments from the floodplain, the action plan to ensure continuous flow of the river in their District and the efforts which have made by them for restoration of the of the river strictly in compliance of the Ganga order of 2016. Let the fresh affidavit with above particulars be filed."

3- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 के अनुपालन में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिंधली/खोखरी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना है:-

क्रमांक	जनपद	Latitude & Longitude
1.	सहारनपुर एवं शामली	Table 1

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० संख्या- 201/ 2024 श्री अमित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 के अनुपालन में सिंधली/खोखरी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद सहारनपुर एवं शामली में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) (प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में एन.एम.सी.जी., मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा० न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगे।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by KULDEEP SRIVASTAVA
Date: 2025.08.12 12:31:09
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव; कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/ मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/ नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के

व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए रेशनलाइज़ेशन के समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्य अभियंता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ओखला, नई दिल्ली।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
RAMA KANT VERMA
Date: 02.03.2026
13:49:[illegible]
(रमा कांत वर्मा)
संयुक्त सचिव।

Annexure-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली
पत्रांक 504 / 35–3 दिनांक शामली 30.09.2026

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201 / 2024 एवं आई0ए0 नं0 49 / 2026 एवं 50 / 2026 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 787 / OA-201 / अमित कुमार / शामली / 2026 दिनांक 18.09.2026।

उपर्युक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No- 201 / 2024 एवं I.A. No- 49 / 2026 एवं 50 / 2026, अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.08.2026 के अनुपालन के संबंध में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। संदर्भित पत्र द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 474 / 35–3 दिनांक 28.09.2026 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, ऊन (शामली) से सूचना चाही गयी, जिसके क्रम में खण्ड विकास अधिकारी, ऊन (शामली) के पत्रांक 1847 / ख0वि0अ0 / सूचना / 2026–27 दिनांक 29.09.2026 द्वारा वृक्षारोपण वर्ष 2026–27 में खोखरी नदी के किनारे कराये गये वृक्षारोपण की सूचना मय जियोटैग फोटोग्राफ सहित इस कार्यालय को प्रेषित की गयी, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

ARaj

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग,
शामली

पत्रांक 504 / 35–3 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, शामली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ARaj

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग,
शामली

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी
ऊन (शामली)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, शामली।

पत्रांकः 1847/ख0वि0अ0/सूचना/2026–27 दिनांकः 29-09-2026

विषयः– **वृक्षारोपण वर्ष 2026–27 में खोखरी नदी के किनारें कराये गये वृक्षारोपण के संबन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 474 दिनांक 28.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा खोखरी नदी के किनारे कराये गये वृक्षारोपण से संबन्धित सूचना संलग्न प्रारूप पर मांगी गयी है। जो निम्नवत् है–

क्र0सं0	वृक्षारोपण स्थल का नाम/ग्राम का नाम	वृक्षारोपण वर्ष	रोपित पौधों की संख्या
1	चौसाना	2026–27	204
2	चौसाना जदीद	2026–27	485
3	जिजौला	2026–27	188
4	भडी मुस्तफाबाद	2026–27	167
5	कमालपुर	2026–27	101
6	गुज्जरपुर	2026–27	187
7	काला माजरा	2026–27	181
8	कैरटू	2026–27	203
9	बिडौली	2026–27	195
योग			1911

अतः सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

खण्ड विकास अधिकारी
ऊन (शामली)

वृक्षारोपण वर्ष 2026–27 में खोखरी नदी के किनारे कराये गये वृक्षारोपण















पंचायती राज

Annexure-4

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
शामली/मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 987/पं0/एन0जी0टी0/खोकरी नदी/2026–27 दिनांक: 22/09/2026

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–201/2024 एवं आई0ए0 नं0 49/2026 एवं 50/2026 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक, अपने कार्यालय पत्र संख्या–787/ओ.ए.–201/अमित कुमार/शामली/26, दिनांक 18.09.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–201/2024 एवं आई0ए0 नं0–49/2026 एवं 50/2026 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.07.2026 के क्रम में आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही कह अद्यतन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

पत्र के साथ जो फोटोग्राफ संलग्न कर प्रेषित किये गये उक्त फोटोग्राफ विकास खण्ड–ऊन की ग्राम पंचायत–चौसाना में स्थित खोकरी नदी की है, जिसमें कूडा करकट दिखाया गया है।

उक्त के संबंध में संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं0), ऊन को स्थलीय निरीक्षण कर प्रकरण में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिसमें सहायक विकास अधिकारी (पं0), ऊन द्वारा अवगत कराया गया कि, ग्राम पंचायत–चौसाना में स्थित खोकरी नदी में पडने वाले नाले की सफाई एवं सॉलिड वेस्ट का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अभी पूर्व में भी कराया गया था, ग्राम पंचायत द्वारा कूडा करकट न डाले जाने हेतु स्थायी समाधान करते हुए डोर–टू–डोर कूडा कलेक्शन एवं आर0आर0सी0 सेन्टर पर सेग्रीगेशन का कार्य कराया जा रहा है। जिसके जी.पी.एस. फोटोग्राफ भी साथ में संलग्न किये गये है।

अतः आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–जी.पी.एस. फोटोग्राफ।

भवदीय,

(संदीप अग्रवाल)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

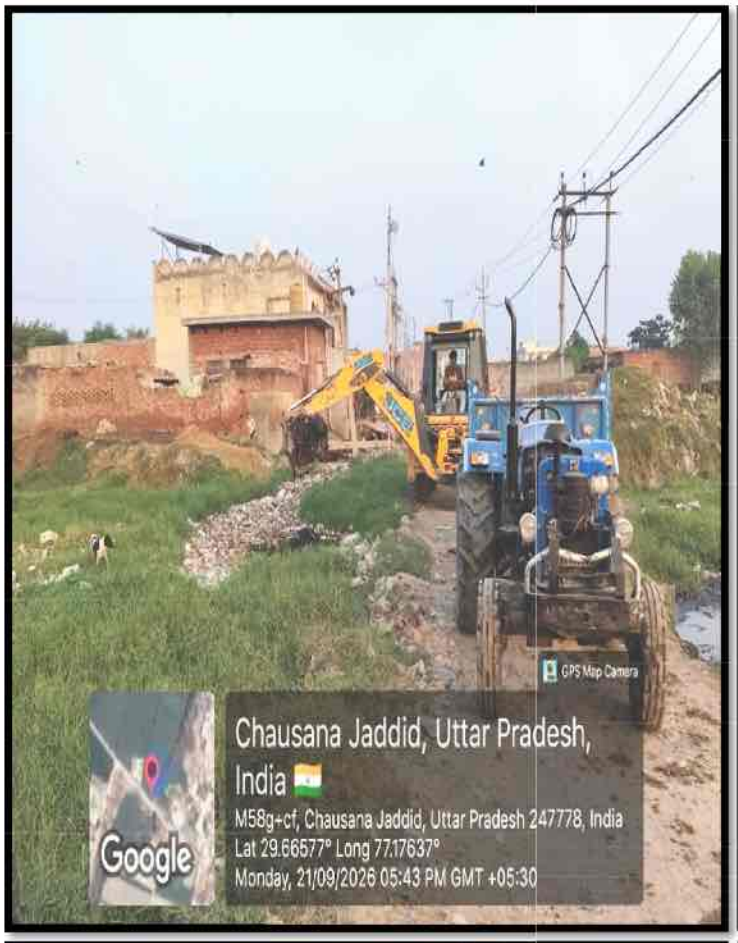
पत्रांक एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

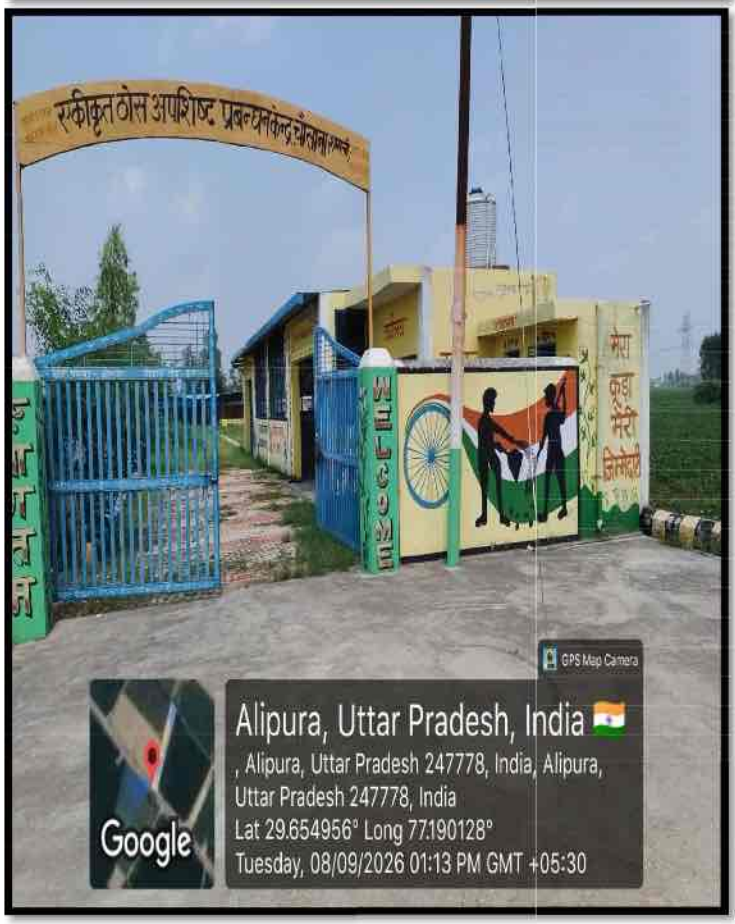
1– जिलाधिकारी महोदय, शामली।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शामली।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
शामली।

ग्राम पंचायत–चौसाना में खोकरी नदी पर सफाई कार्य के फोटोग्राफ।










GPS Map Camera
Chausana Jaddid, Uttar Pradesh, India
M59j+56w, Chausana Jaddid, Uttar Pradesh 247778, India
Lat 29.668011° Long 77.180588°
Monday, 21/09/2026 08:06 AM GMT +05:30
Google


GPS Map Camera
Chausana Jaddid, Uttar Pradesh, India
M59h+qfp, Chausana, Chausana Jaddid, Uttar Pradesh 247778, India
Lat 29.669315° Long 77.179406°
Tuesday, 22/09/2026 08:14 AM GMT +05:30
Google

Annexure-5

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी
ऊन (शामली)

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुजफ्फरनगर।

पत्रांकः 1795/ख0वि0अ0/सूचना/2026–27 दिनांकः 23/09/026

विषयः– **मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०संख्या–201/2024 एवं आई०ए० नं० 49/2026 एवं 50/2026 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

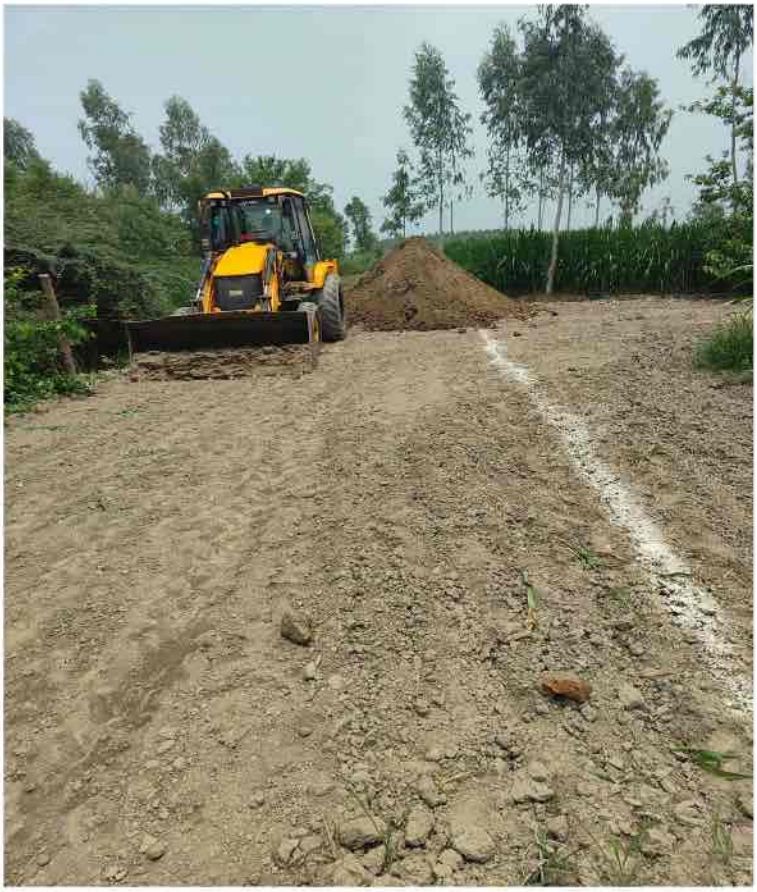
उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 787 दिनांक 18.09.2026 के क्रम में अवगत कराना है कि खोखरी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है, जो जनपद सहारनपुर के तहसील नकुड के ग्राम बिसनपुर से होते हुए जनपद शामली के ग्राम चौसाना जदीद, चौसाना अहतमाल, जिजौला के मजरा अलीपुरा, भडी मुस्तफाबाद के मजरा मुस्तफाबाद, नाई नंगला सकौती के मजरा सकौती, कमालपुर, गुज्जरपुर, काला माजरा के मजरा अजीजपुर, कैरटू ओर कबीरपुर से होते हुए यमुना नदी में विलिन हो जाती है। जनपद शामली में इसका लगभग 20 किमी0 का प्रवाह क्षेत्र है। वर्तमान मे प्रशासन द्वारा खोखरी नदी की खुदाई एवं सफाई का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। जिसकी प्रगति के फोटोग्राफ पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय

22/9/26

(सुधीर कुमार)
खण्ड विकास अधिकारी
ऊन (शामली)





खोखरी नदी की खुदाई के फोटोग्राफ्स





खोखरी नदी की खुदाई के फोटोग्राफ्स





खोखरी नदी की खुदाई के फोटोग्राफ्स









खोखरी नदी खुदाई के पश्चात् के फोटोग्राफ्स





खोखरी नदी खुदाई के पश्चात् के फोटोग्राफ्स